(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2878–पीबीआर/16 विरूद्ध अपर कलेक्टर, जिला धार द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23–1–2016 प्रकरण कमांक /अ–39/2015–16.

बगदीराम पिता गिरधारीलाल पाटीदार
निवासी जेतपुरा
तहसील व जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन
2– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र धार
3– तहसीलदार, तहसील व जिला धार .....अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती नीना पाण्डे,अभिभाषक अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला धार द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र धार को विधायक, धार द्वारा पत्र कमांक 210/7/2014–15 दिनांक 20–2–2015 भेजकर उल्लेख किया गया कि ग्राम जेतपुरा तहसील धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 107/4/1 आदिवासी के पट्टे की भूमि है, जिसे हेरा–फेरी कर गैर आदिवासी द्वारा अपने पक्ष में अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई है । उक्त पत्र के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । इसी सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आदिवासी को पट्टे पर दी गई है, यह प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है,

और यह भार शासन पर है कि वे सिद्ध करें कि प्रश्नाधीन भूमि आदिवासी को पट्टे पर दी गई है । ऐसी स्थिति में आवेदक को नोटिस जारी करने में अपर कलेक्टर द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही अत्यधिक विलम्ब से की जा रही है, जबकि युक्ति–युक्त समय में ही स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की जा सकती है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनेक प्रकरण प्रचलित हुए हैं, जिनमें आवेदक को भूमिस्वामी माना गया है ।

तर्कों के समर्थन में प्रकरण कमांक निगरानी 3190–पीबीआर/15 आदेश दिनांक 31–12–2015, 2007 आर.एन. 71, 2000 आर.एन. 161, 1996 आर.एन. 80, 1996 आर.एन. 286, 1998 भाग 1 एम.पी.वीकली नोट शार्ट नोट 26 एवं 2010 आर.एन. 409 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है, क्योंकि गैर आदिवासी द्वारा आदिवासी की भूमि में हेर–फेर की गई थी । अतः अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा अभी मात्र आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसका जवाब भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । चूंकि अपर कलेक्टर द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, और वे इस न्यायालय के समक्ष जो तर्क प्रस्तुत किये हैं, वह अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । अतः यह निगरानी इस स्टेज पर प्रीमेच्योर होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला धार द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23–1–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर